संख्या-142/2016/आर-3305/26-3-2016-4(50)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 18 जुलाई 2016

विषयः-अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत जनपद बाराबंकी के विकास कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1074/स.क./विकास/एकीकृत विकास योजना/91/2015-16, दिनांक-28.09.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागींण विकास हेतु संचालित **एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत जनपद-बाराबंकी के विकास खण्ड-दरियाबाद के ग्राम-हड़ाहा** में विकास कार्यो हेतु कुल रूपया-155.221 लाख (रूपया एक करोड़ पचपन लाख बाईस हजार एक सौ मात्र) धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रूपया-78.00 लाख (रूपया अठहत्तर लाख मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद-बाराबंकी (रूपया लाख में)

क्र.सं.	ग्राम का नाम	विकास खण्ड का नाम	कार्यो का विवरण	कार्य की लागत	स्वीकृत धनराशि	अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हड़ाहा	दरियाबाद	सी.सी.रोड़ एवं नाली निर्माण	155.221	78.00	77.221
			कुल	155.221	78.00	77.221

(1)- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को आवंटित की जायेगी एवं जिलाधिकारी द्वारा धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। उक्त कार्य हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बाराबंकी को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कार्य के निर्माण में विलम्ब होने से यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)-कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्यो की प्रस्तावित लागत को यथावत मानते हुए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अतएव स्वीकृत की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग होने के उपरान्त कराये गये कार्यो का फोटोग्राफ के साथ जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने पर यथासमय विचार किया जायेगा।

(6)-उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य" के सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-142/2016/आर-3305(1)/26-3-2016-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-जिलाधिकारी, बाराबंकी।
3-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4-कोषाधिकारी, बाराबंकी।
5-अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बाराबंकी।
6-जिला समाज कल्याण अधिकारी बाराबंकी।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in